–: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :–

पीठासीन अधिकारी :– देवीलाल यादव
राजस्व प्रकरण संख्या :– 181/2024

उनवान

1. अंकित अग्रवाल पुत्र परमेश्वर
2. अमित कुमार पुत्र परमेश्वर समस्त जाति अग्रवाल निवासी 69ए, सदर बाजार, नसीराबाद

—— प्रार्थीगण :– जरियें अधिवकता श्री रवि चौधरी

बनाम

1. अनिल पुत्र बद्रीनारायण, जाति महाजन निवासी महेश विहार कॉलोनी, दिलवाडा चौराहा, नसीराबाद
2. महेशचन्द पुत्र ताराचन्द जाति महाजन, निवासी पलसानिया रोड, नसीराबाद
3. अधीशाषी अधिकारी, नगर पालिका, नसीराबाद
4. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

——— अप्रार्थीगण :– 2 व 3 अनुपस्थित, 4 जरियें राज. पैरोकार
1 जरियें अधिवक्ता श्री सीताररराम रावत

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम 1956

–: आदेश :– दिनांक :– 18.2.25

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने उत आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बारापत्थर, तहसील नसीराबाद के हाल खसरा नम्बर 1887/1886 रकबा 0.0860 व 444 रकबा 0.30 की आराजी प्रार्थीगण की सह खातेदारी की है। उक्त आराजी पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी की उक्त भूमि के पास अप्रार्थीगण की भूमि हाल खसरा नम्बर 1757/417, 1752/412, 1754/412, 411/1410 व 1888/1886 स्थित है। अप्रार्थीगण की भूति रूपान्तरित होने के कारण नगर पालिका के खातें में अंकित है। प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी आराजी मुतनाजा की सुरक्षा के लिये तहसीलदार नसीराबाद के समक्ष दिनांक 18.10.24 को सीमाज्ञान का आवेदन पेश किया, जिस पर मौके पर विवाद होने की टिप्पणी के साथ दिनांक 20.11.24 को मौका पर्चा बनाया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त आराजी पर दखलदांजी की जा रही है। अतः प्रार्थीगण द्वारा आराजी मुतनाजा की पत्थरगढी हेतु उक्त आवेदन पत्र पेश किया जा रहा है। अतः पत्थरगढी के आदेश पारित करने की कृपा करावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 बावजूद तामीली अनुपस्थित रहे। राज. पैरोकार ने जवाब नही पेश करना जाहिर किया। अप्रार्थी संख्या 2 ने जवाब [illegible] निवेदन किया कि ग्राम बारापत्थर, तहसील नसीराबाद के हाल खसरा नम्बर 1887/1886 रकबा 0.0860 व 444 रकबा 0.30 के उत्तर दिशा में हाल खसरा नम्बर 1757/417 व 1752/412 नगर पालिका के नाम राजस्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:32:02 IST
Reason: SelfAttested

—2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

अभिलेख में अंकनन है। उक्त भूमि का सपंरिवर्तन नगरपालिका द्वारा मौक पर नाप–चौप कर किया है। प्रार्थीगण को पत्थरगढी के कोई अधिकार प्राप्त नही होते है। प्रार्थी अपनी भूमि पर काबिज है तथा अप्रार्थीगण अपनी भूमि पर काबिज है। संपरिवर्तित आराजी पर भूमि की पत्थरगढी नही की जा सकती है।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। आराजी मुतनाजा प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थीगण की आराजी के पास ही अप्रार्थीगण की आराजी स्थित है। अप्रार्थीगण का प्रार्थीगण की आराजी पर कोई हक व अधिकार नही है। अप्रार्थीगण का कथन है कि उनकी भूमि संपरिवर्तित है जिसकी पत्थरगढी नही हो सकती है। किन्तु प्रार्थीगण द्वारा स्वयं की खातेदारी आराजी के पत्थरगढी की मांग की गयी है। प्रार्थीगण द्वारा पूर्व में तहसील कार्यालय में सीमाज्ञान हेतु आवेदन पत्र पेश किया, जिस पर पटवारी हल्का द्वारा मौके पर विवाद की स्थिति होना अकित करते हुये मौका पर्चा बनाया गया है। उक्तानुसार स्पष्ट है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य सीमा का विवाद है। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र का खण्डन नही किया है। उक्त आराजी की पत्थरगढी होने से अप्रार्थीगण के हितों पर कोई विपरित प्रभाव नही पडेगा। अप्रार्थीगण अपनी आपत्ति पत्थरगढी के समय भी पेश कर सकते है। प्रार्थीगण पत्थरगढी करवाने के अधिकारी है।

उक्तानुसार ग्राम बारापत्थर, तहसील नसीराबाद के हाल खसरा नम्बर 1887/1886 रकबा 0.0860 व 444 रकबा 0.30 की आराजी पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उभयपक्ष की विधिवत उपस्थिति में आराजी मुतनाजा की पत्थरगढी की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:32:02 IST
Reason: SelfAttested